# प्रेस नोट

**सराहनीय कार्य कानपुर देहात** **दिनांक- 07.06.2026**

## थाना डेरापुर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए लड़ाई-झगड़े के दौरान अवैध देशी तमंचा लहराने वाले अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर अवैध असलहा-कारतूस के साथ किया गया गिरफ्तार।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, थाना डेरापुर पुलिस टीम ने रात्रि गश्त व चेकिंग के दौरान मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर 01 व्यक्ति को अवैध देशी तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ मड़नापुर से डेरापुर-गलुआपुर मार्ग पर बड़ागांव को जाने वाली पुलिया से 15 मीटर दूर मड़नापुर की ओर से दिनांक 06.06.2026 को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किये गये व्यक्ति ने अपना नाम आयूष यादव उर्फ गोलू यादव पुत्र सुरेन्द्र सिंह यादव निवासी ग्राम मड़नापुर थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात, उम्र लगभग 20 वर्ष बताया तथा तमंचा व कारतूस के संबंध में पूछने पर बताया कि दिनांक 06.06.2026 को सुबह उसके चाचा से लड़ाई-झगड़ा होने पर उसने तमन्चा निकालकर अपने घर की छत पर खड़े होकर लहरा रहा था, जिसका किसी ने वीडियो बना लिया था, जिससे मुझे पुलिस कार्यवाही का ड़र था और मैं इस तमन्चा व कारतूस को छिपाने के लिये जा रहा था। बिना वैध अनुज्ञप्ति के अवैध असलहा-कारतूस रखने पर अभियुक्त के विरूध्द थाना डेरापुर पर मु0अ0सं0 101/2026 धारा 3/25 आयुध अधिनियम बनाम आयुष यादव उपरोक्त किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुये नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

**गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का विवरण-**

1. आयूष यादव उर्फ गोलू यादव पुत्र सुरेन्द्र सिंह यादव निवासी ग्राम मड़नापुर थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात, उम्र लगभग 20 वर्ष ।

**बरादमगी-**

01 अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर

**गिरफ्तार करने वाली थाना डेरापुर पुलिस टीम-**

1.उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र सिंह

2.आरक्षी 800 अहमद खान

3.आरक्षी 705 मृत्युन्जय